रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2012/फाल्गुन 4, 1933

No. 75] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2012/PHALGUNA 4, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 103(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2010 का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 30 नवम्बर, 2010 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 929(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और राजपत्र अधिसूचना की ऐसी प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, तारीख 6 दिसम्बर, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) अधिसूचना के खंड 2 और खंड 3, मोटर यान (संशोधन) नियम, 2012 के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और खंड 4, उसके प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष पश्चात् प्रवृत्त होगा ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 85 के उपनियम (4) के परंतुक में "नियम 115 के उपनियम (14) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम-III)" कोष्ठकों, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "नियम 115 के उपनियम (15) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम-IV)" कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 90 के उपनियम (7) के परंतुक में "नियम 115 के उपनियम (14) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम-III)" कोष्ठकों, शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "नियम 115 के उपनियम (15) में विनिर्दिष्ट (भारत प्रक्रम-IV)" कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 115 में,-

(अ) उपनियम (2) में,-

(क) खंड (i) की सारणी में, क्रम संख्यांक 5 और उससे सबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"5.	उत्सर्जन मानक भारत प्रक्रम-II या प्रक्रम-III के अनुसार विनिर्मित चौपहिया यान	0.5	750";

(ख) खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु प्रक्रम-IV मानकों के अनुसार विनिर्मित पैट्रोल/संपीड़ित प्राकृतिक गैस/द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस से प्रचालित प्रत्येक मोटर यान निम्नलिखित सारणी में दिए गए कार्बन मोनोआक्साइड (सीओ), हाइड्रो कार्बन (एच सी) और लंबडा के लिए लागू उत्सर्जन मापदडो अनुप्रयुक्त और उच्च अनुप्रयुक्त का अनुपालन करेंगे, अर्थात् :—

सारणी

(भारत प्रक्रम-IV मानकों के अनुसार विनिर्मित पैट्रोल/ संपीड़ित प्राकृतिक गैस/द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस से नोदित यान)

क्र.सं.	यान का प्रकार	अनुप्रयुक्त उत्सर्जन सीमाएं		उच्च अनुप्रयुक्त उत्सर्जन सीमाएं	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		सीओ %	एचसी (एन हैक्सेन समतुल्य)पीपीएम	सीओ %	लंबडा λ (आरपीएम- 2500 ± 200)
1.	भारत प्रक्रम-IV मानकों के अनुसार विनिर्मित संपीड़ित प्राकृतिक गैस/द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस से नोदित चौपहिया यान	0.3%	200 पीपीएम	-	-
2.	भारत प्रक्रम-IV मानकों के अनुसार विनिर्मित पैट्रोल से नोदित चौपहिया यान	0.3%	200 पीपीएम	0.2	1 ± 0.03 या यान विनिर्माता द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ।";

(ग) खंड (ii) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

"सारणी

(डीजल यान)

क्र.सं.	परीक्षण की विधि	अधिकतम धूम घनत्व	
(1)	(2)	(3)	
		प्रकाश अवशोषण गुणांक (1/मीटर)	हार्टिज यूनिट
1.	भारत प्रक्रम-IV पूर्व मानकों के लिए टर्बो प्रभारित इंजन और प्राकृतिक एस्पिरेटिड इंजन के लिए मुक्त गतिवर्धन परीक्षण ।	2.45	65
2.	भारत प्रक्रम-IV मानकों के लिए टर्बो प्रभारित इंजन और प्राकृतिक एस्पिरेटिड इंजन के लिए मुक्त गतिवर्धन परीक्षण ।	1.62	50";

(ख) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु भारत प्रक्रम-IV मानकों के अनुसार विनिर्मित यानों के लिए प्रमाणपत्र की विधिमान्यता बारह मास की होगी ।"।

[फा. सं. आरटी-11011/2/2010-एमवीएल (जिल्द-1)]

नितिन र. गोकर्ण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. संख्यांक 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 708(अ) तारीख 30 अगस्त, 2010 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2012

G.S.R. 103(E).— Whereas the draft of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2010 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988),vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 929 (E), dated the 30th November, 2010 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 30th November, 2010, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the Gazette notification in which the said notification was published were made available to the public on 6th December, 2010;

And, whereas, the objections and suggestions received in respect of the said draft rules, have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2012.

   (2) Clause 2 and clause 3 of the notification shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette and clause 4 shall come into force after one year from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2012.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 85, in sub-rule (4), in the proviso, for the brackets, words, letters and figures "(Bharat Stage-III) specified in sub-rule (14) of rule 115", the brackets,

words, letters and figures "(Bharat Stage-IV) specified in sub-rule (15) of rule 115" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 90, in sub-rule (7), in the proviso, for the brackets, words, letters and figures "(Bharat Stage-III) specified in sub-rule (14) of rule 115", the brackets, words, letters and figures "(Bharat Stage-IV) specified in sub-rule (15) of rule 115" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 115,-

(A) in sub-rule 2,-

(a) in clause (i), in the Table, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"5.	4-wheelers manufactured as per Bharat Stage-II or Bharat Stage-III emission norms.	0.5	750";

(b) after clause (i), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that every motor vehicle operating on Petrol/Compressed Natural Gas/Liquefied Petroleum Gas, manufactured as per Bharat Stage-IV norms shall comply with the idling and high idling applicable emission standards for Carbon Monoxide (CO), Hydro Carbon (HC) and Lambda given in the following Table, namely:-

Table

(Petrol/Compressed Natural Gas/Liquefied Petroleum Gas driven vehicles, manufactured as per Bharat Stage-IV norms)

Sr. No	Type of vehicle	Idle emission limits		High idle emission limits	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		CO%	HC(n hexane equivalent) ppm	CO%	Lambda λ (RPM-2500 ± 200)
1.	Compressed Natural Gas/Liquefied Petroleum Gas driven 4-wheelers manufactured as per Bharat Stage-IV norms.	0.3%	200 ppm	-	-
2.	Petrol driven 4-wheelers	0.3%	200 ppm	0.2	1 ± 0.03 or as

567 GI/12-2

	manufactured as per Bharat Stage-IV norms.				declared by the vehicle manufacturer.";

(c) in clause (ii), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"Table

(Diesel vehicles)

Sr. No.	Method of test	Maximum smoke density	
(1)	(2)	(3)	
		Light absorption coefficient (1/metre)	Hartidge units
1.	Free acceleration test for turbo charged engine and naturally aspirated engine for vehicles manufactured as per pre-Bharat Stage-IV norms.	2.45	65
2.	Free acceleration test for turbo charged engine and naturally aspirated engine for vehicles manufactured as per Bharat Stage-IV norms.	1.62	50";

(B) after sub-rule (7), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the validity of the certificate shall be twelve months for the vehicles manufactured as per Bharat Stage-IV norms.".

[F. No. RT-11011/2/2010-MVL (Vol. I)]

NITIN R. GOKARN, Jt. Secy.

Footnote : The principal rules were published vide number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 708(E), dated the 30th August, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.